संख्या-95/2022/1353/001-1353-30-3-2022

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 03 अगस्त, 2022

विषय- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्माणाधीन सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1138ए/2022-137ए/2016, दिनांक 02 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्माणाधीन सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 200.00 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन निर्माण-24-बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (शामली व पीलीभीत) से सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्माणाधीन सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 200.00 लाख (रू० दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	991.19	200.00	200.00 (रू० दो करोड़ मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(5) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

अवगत कराना है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्माणाधीन सारथी हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-44/2021/353/30-3-2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 द्वारा धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तथा द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-34/2022/698/30-3-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा धनराशि रू0 191.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 191.76 लाख का कतिपय कारणों से भुगतानादेश/भुगतान न हो पाने के कारण उक्त शासनादेश को निरस्त समझा जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,00,00,000 (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 043 लेखा शीर्षक 4059010512000 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में "सारथी हॉल" सहित भवन निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-95/2022/1353(1)/001-1353-30-3-2022, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, शामली।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in